

# मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

## विनियोग विधार्य सूची

बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर, 1994 (अग्रहायण 9, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः विलित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण

(1) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में व्यापक वित्तीय अनियमितताएं किए जाने की ओर अवैध अवैध आकर्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती जयश्री बैनर्जी, श्री ओकार प्रसाद तिवारी तथा श्री बच्चन नाथक, सदस्य, जबलपुर मेडिकल कालेज में अध्ययनरत एक छात्र छारा आत्महत्या की घटित घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 3. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय  
30 मि.

(1) श्री रामजी महाजन, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 34 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(2) श्री सत्यदेव कटारे, राज्यमंत्री गृह, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सम्पर्क विरूपण निवारण विधेयक, 1994 (क्रमांक 33 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 4. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अर्चा

1 घन्टा  
30 मि.

(1) सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा तथा कैलाश जोशी, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

1 घन्टा  
30 मि.

(2) प्रदेश के विभिन्न उद्योगों की भूमि अधिग्रहण किये जाने पर भू-विस्थापितों को उचित मुआवजा, व्यवस्थापन तथा उनकी नौकरी संबंधी स्थायी नियम बनाने के संबंध में श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :  
दिनांक : 29 नवम्बर, 1994

शीला चाहा  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा